

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

मनोरंजन कुमार,
निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
सिवान।

पटना, दिनांक:— 05/01/2026

विषय:— श्री अमेरन्द्र कुमार झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बी० एन० उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज,
सिवान का 90 प्रतिशत औपबधिक पेंशन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 1340 दिनांक 08.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री अमेरन्द्र कुमार झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बी० एन० उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, सिवान का 90 प्रतिशत औपबधिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस क्रम में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक पेन-22/25-26/409 दिनांक 04.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि श्री झा के पेंशन प्रपत्र एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंतिम वेतन रू० 1,04,800/- अंकित किया गया है, जबकि वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा निर्गत सेवा अभिलेख में वेतन स्तर— 13 (1,23,100—1,34,500) दिनांक 01.01.2023 को मूल वेतन 1,34,500/- अंकित है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा श्री झा के अंतिम वेतन में भिन्नता होने के कारण उनके मूल पेंशन प्रपत्र को समीक्षा हेतु वापस कर दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री झा के मूल पेंशन प्रपत्र भेजते हुए अनुरोध है कि इनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में नियमानुसार वेतन विसंगति को सुधार कर संशोधित पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :- 02/पेन. 05-39/2023२०.....

पटना, दिनांक.....05/01/2026

प्रतिलिपि:— श्री अमेरन्द्र कुमार झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, पत्राचार पता— ग्राम/मोहल्ला— गिरी जी हाउस,
बुढ़िया माई मंदिर के सामने, गाँधी मैदान, सिवान, पोस्ट— सिवान, थाना— सिवान, जिला— सिवान, बिहार,
पिन कोड — 841226, मो० नं०— 9471469643 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 03-01-2026 10:43:02

निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग।